तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व आहकाम हुक्म की ... में जारी
10.11.21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प ग्राम पंचायत माण्डल मे पेश हुई, वकील वादीगण ने मिश्रीलाल पिता प्यारा माली का शपथ पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जिसे शा-प० किया गया। वकील वादीगण अब आगे कोई शपथपत्र पेश नही करना चाहते है, वास्ते पत्रावली बहस हेतु नियत दिनांक 11-11-21 को पेश हो।	
11-11-21	पत्रावली पेश हुई, वकील वादीगण उपस्थित, वकील वादीगण ने बहस करनी चाही। बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 23-11-21 को पेश हो।	
23.11.21	पत्रावली पेश हुई, वकील वादीगण उपस्थित, वकील वादीगण ने बहस के दौरान वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा, पत्रावली मे वादीगण की ओर से वादी शंकरलाल वादिया रामूदेवी का शपथपत्र प्रस्तुत हुआ तथा वादीगण की ओर से एक खाते मे वादीगण के साथ-साथ अन्य सहखातेदार मिश्रीलाल पिता प्यारा माली का भी शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ, वादीगण ने अपने पिता का नाम [illegible]नारायण होना एवं वादिया रामूदेवी ने [illegible] पति बद्रीनारायण ही होना मुख्य [illegible] शपथपत्र मे दर्शाया। राजस्व रेकार्ड मे [illegible] खाता सं. 13[illegible] नारायण पिता हीरा माली गलत अंकित करना इसीतरह दूसरे खाते मे बद्री पिता हीरामाली गलत अंकित	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2024.12.23 14:47:59 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

करना दर्शाया। उसके स्थान पर बद्रीनारायण पिता हीरा माली खाता सं. 1310 मे व खाता सं. 985 मे सही इन्द्राज करने का कथन किया। स्वतन्त्र साक्षी मिश्रीलाल पिता प्यारा माली ने भी बद्रीनारायण पिता हीरा माली के वास्तविक वारिसान वादीगण के ही होना दर्शाया है। दस्तावेज साक्ष्य मे बद्रीनारायण पिता हीरा माली का मृत्यु प्रमाणपत्र वादिया रामूदेवी के पति का नाम बद्रीनारायण होने हेतु आधार कार्ड बद्रीनारायण पिता हीरा माली का फोटोयुक्त निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र से यह प्रमाणित होता है कि राजस्व एजेन्सी द्वारा बद्रीनारायण के नाम को दो टुकडो मे अलग-अलग खाता सं. 1310 मे नारायण पिता हीरा माली एवं खाता सं. 985 मे बद्री पिता हीरा माली गलत दर्ज कर दिया गया है जिससे दुरुस्त किया जाना उचित है। इस संबध मे पैरोकार सरकार द्वारा जवाब मे साफ लिखा गया है वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो साक्ष्यो एवं वादीगण की ओर से वादपत्र की पुष्टि मे प्रस्तुत साक्षी शंकरलाल, रामूदेवी एवं मिश्रीलाल माली के बयानो से वाद पत्र की पुष्टि होना जाहिर है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य समझती हूं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:47:59 IST
Reason: SelfAttested

∴ आदेश ∴

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मांडल पटवार हल्का मांडल तहसील मांडल के राजस्व अभिलेख जमाबंदी के खाता सं.

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में

1310 मे "नारायण पिता हीरा माली" के स्थान पर एंव खाता सं॰ 985 मे बद्री पिता हीरा माली के स्थान पर बद्रीनारायण पिता हीरा माली इकरत करते हुए वादीगण मृतक बद्रीनारायण पिता हीरा माली के वारिसान होने से वादीगण का नाम खातेदार की हैसियत से दर्ज कर घोषणात्मक डिक्री वादीगण के पक्ष मे एंव राजस्थान राज्य के विरुद्ध पारित की जाती है। पक्षकारान् अपना-अपना खर्चा वहन करे। तदनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:47:59 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व तारी[illegible]
अहकाम जो [illegible]
हुक्म की तारी[illegible]
में जारी हु[illegible]

स्थान
हीरा
हीरा
5
सान
की
वादीगण
पारित
खर्चा
वे।
से

डिक्री

(आ0 20 नियम 6 / जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

वईजलास श्री डॉ. पूजा सक्सेना (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

श्री शंकरलाल S/o बद्रीनारायण माली निवासी-मांडल, P.वि.वि. एन. एल ऑफिस के पास मांडल त. मांडल
श्री बाबुलाल S/o बद्रीनारायण माली ——— " ———
सत्या देवी w/o भैरूलाल पुत्री बद्रीनारायण माली निवासी-पुर, 227 बी माली मोहल्ला वार्ड नं. -3 पुर भीलवाड़ा
श्रीमती राधु देवी w/o बद्रीनारायण माली निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल

वादीगण

बनाम

श्री राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा. माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 89 91 मुकदमा नं0/वर्ष 65/19 निर्णय दिनांक 23.11.21

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुददई व श्री श्यामलाल वैद Adv मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल मे स्थित राजस्व अभिलेख जमाबंदी के खाता सं. 1310 मे "नारायण पिता हीरा माली" के स्थान पर एंव खाता सं. 985 मे बद्री पिता हीरामाली के स्थान पर बद्री नारायण पिता हीरा माली दुरूस्त करते हुए वादीगण मृतक बद्रीनारायण पिता हीरा माली [illegible] वारिसान होने से वादीगण का नाम खातेदार की हैसियत [illegible] घोषणात्मक डिक्री वादीगण के पक्ष मे एंव राजस्थान राज्य [illegible] के पारित की जाती है। खर्चा फरिकेन अपना-अपना [illegible] करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:47:59 IST
Reason: SelfAttested

आज तारीख 23.11.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा